UPST010019232026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सुलतानपुर

उपस्थित–सुनील कुमार–IV, उच्चतर न्यायिक सेवा

न्यायिक अधिकारी कोड सं0 यू.पी.1885

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–619 / 2026

हरिशंकर गुप्ता उम्र लगभग 23 वर्ष पुत्र जगदीश प्रसाद गुप्ता निवासी हनुमानगंज, थाना कोतवाली देहात, जनपद सुलतानपुर ..... प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... आपत्तिकर्ता

मुकदमा अपराध संख्या–649 / 2025

धारा–303(2), 109, 324, 317(2) भारतीय न्याय संहिता

थाना–कोतवाली नगर, जनपद–सुलतानपुर

दिनांक 10.03.2026

प्रार्थी / अभियुक्त हरिशंकर गुप्ता की ओर से थाना–कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–649 / 2025 अन्तर्गत धारा–303(2), 109, 324, 317(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

कार्यालय आख्यानुसार सी0आई0एस0 पर उपलब्ध डाटा के अनुसार उपरोक्त अपराध संख्या में पूर्व में किसी अभियुक्त का कोई अग्रिम / नियमित ज़मानत प्रार्थना पत्र निस्तारित नहीं हुआ है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

संक्षिप्ततः अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा नौशाद द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 20.08.2025 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादी अपने बच्चे के इलाज हेतु अपना वाहन (बोलेरो यू0पी0 44 ए0बी0 5739) लेकर सुरम्या अस्पताल लक्ष्मनपुर, पयागीपुर आया था कि वहां से उसकी गाड़ी चोरी कर कई लोगों को रगड़ते घसीटते जानलेवा हमला करते हुए दो पहिया वाहन को फंसाकर घसीटते हुए लक्ष्मनपुर से गनपत सहाय कॉलेज तक जानलेवा हमला करते हुए भागा। क्षतिग्रस्त लोगों का विवरण निम्न प्रकार हैः– 1.

वासिद खां पुत्र मो0 हनीफ (9528940648) वाहन बाइक के0टी0एम0 (यू0पी0 25 डी0वी0 2193) पूर्णतया क्षतिग्रस्त, 2. वाहन यू0पी0 44 बी0ए0 0455 (8181081886) होण्डा एक्टिवा, 3. टाटा मैजिक महावीर पुत्र प्रहलाद (6377667058) क्षतिग्रस्त।

यह प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अभियोजन कथानक के अनुसार घटना में संलिप्तता से इंकार करते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया गया है कि प्रार्थी का पूर्व में कोई दोषसिद्ध आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है, उसे महज रंजिशवश झूठे एवं गलत तथ्यों के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से राय मशविरे के बाद अंकित करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी मुकदमा द्वारा अज्ञात के विरूद्ध लिखायी गयी है, दौरान विवेचना प्रार्थी का नाम प्रकाश में लाया गया है। प्रार्थी को गाड़ी चोरी करके लेकर भागते एवं लोगों को कुचलते हुए भागना कहा गया है, जबकि प्रार्थी गाड़ी चलाना नहीं जानता है। प्रार्थी की पुलिस से रंजिश थी, जिस कारण उसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त मुकदमे में कोई भी स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी दि0 21.08.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत व मुचलके पर रिहा किया जाना आवश्यक है।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में यद्यपि नामित नहीं है, परन्तु विवेचना के दौरान उसका नाम घटना कारित करने वाले अभियुक्त के रूप में प्रकाश में आया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा न सिर्फ वादी मुकदमा की बोलेरो यू0पी0 44 ए0बी0 5739 को चोरी किया गया अपितु उक्त वाहन को लापरवाहीपूर्ण ढंग से चलाते हुए जान से मारने की नीयत से रास्ते में आए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। गवाहों ने अपने–अपने बयान अन्तर्गत धारा 180 बी0एन0एस0एस0 में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा गंभीर अपराध कारित किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

निम्नांकित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कि–

1. प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.08.2025 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। न तो वह वादी की गाड़ी चोरी करते हुए देखा गया और न ही वह मौके पर पकड़ा गया।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि

प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसके द्वारा वादी मुकदमा की गाड़ी चोरी कर उक्त गाड़ी को लापरवाहीपूर्वक चलाकर कई अन्य गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया और सड़क के किनारे खड़े लोगों को जान से मारने का प्रयास किया गया।

4. प्रस्तुत प्रकरण में कोई भी व्यक्ति चोटहिल नहीं हुआ है।

5. घटना के दो दिन बाद प्रार्थी/अभियुक्त से चोरी किये गये वाहन की बरामदगी बतायी गयी है, परन्तु इस बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है।

6. अभियोजन की ओर से यह स्वीकार किया गया कि केस डायरी में ऐसा कोई तथ्य नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि गिरफ्तारी के बाद घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण से और वादी से प्रार्थी/अभियुक्त की पहचान करायी गयी हो।

7. प्रथम सूचना रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर असावधानीपूर्वक गाड़ी चलाते हुए कई गाड़ियों में टक्कर मारने का आक्षेप है, किन्तु फर्द बरामदगी से यह स्पष्ट है कि पुलिस की चेकिंग के दौरान यह गाड़ी बिना किसी लापरवाही के चलायी जा रही थी और पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने पर प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुड़कर भागने का प्रयास किया गया, जो यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थी/अभियुक्त गाड़ी चलाना जानता है।

8. सम्बन्धित थाने से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार होना पाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त हरिशंकर गुप्ता की ओर से थाना–कोतवाली नगर, जनपद सुलतानपुर के मुकदमा अपराध संख्या–649/2025 अन्तर्गत धारा–303(2), 109, 324, 317(2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा सम्बंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार रूपये 40,000/– (चालीस हजार) का निजी बंधपत्र व उसी राशि के एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे निम्नांकित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा तथा जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

2– प्रार्थी/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

3– प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

4– प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

दिनांकः 10.03.2026

(सुनील कुमार–IV)
सत्र न्यायाधीश,
सुलतानपुर
J.O. Code UP 1885

आशुलिपिक– मधुलिका सिंह

SUNIL KUMAR Digitally signed by SUNIL KUMAR